न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 353/2022

आरसीएमएस नं. 2022/353

1. पोखरराम पुत्र खेताराम जाति माली साकिन थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. फूलचन्द पुत्र पोखरराम जाति माली साकिन थालड़का तहसल नोहर जिला हनुमानगढ।
3. महेन्द्र पुत्र पोखरराम जाति माली साकिन थालड़का तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रभूराम पुत्र हंसराज जाति माली साकिन थालड़का तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहीसल नोहर जिला हनुमानगढ

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.09.2022

द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर

प्र. सं. 06/2022 अनवान प्रभूराम बनाम पोखरराम आदि

उपस्थितिः—

श्री हवासिंह पूनिया, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मागेराम बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या, 1

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 22.03.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें अपनी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी की रोही मौजा चक 2 के.एम. तहसील नोहर के खाता सं0 31/27 के प. नं. 219/392 मु0 नं0 29 के किला नं. 25 की 0.2270 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित हेाकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। राजीनामा अनुसार रास्ते में आई भूमि के बदले में डीएलसी की दर से राशि दिये जाने के स्थान पर भूमि के बदले में भूमि दिये जाने पर सहमति हुई है। मूल राजीनामा अपील में फार्म नं. 3 क साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है उसी के अनुसार निर्णय पारित किया जावे।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रोही मौजा चक 2 केएम के खाता संख्या 31/27 के प. नं. 2019/392 (29) के किला नं. 25 की 0.2270 है0 भूमि में पूर्व से पश्चिम में दक्षिणी सींव की तरफ (किला नं. 24 तक) लबाई में 2–2 गट्ठा रास्ता स्वीकृत किया है तथा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सायल गैरसालान सं0 1 ता 3 को वर्तमान बाजार भाव डीएलसी दर से राशि देने एवं तदुपरान्त राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया है। चूंकि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा 100/– रू0 के स्टाम्प पर राजीनामा हो चुका है, जो फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष लोक अदालत की भावना से राजीनामा अनुसार निर्णय करवाना चाहते है। राजीनामा अनुसार रास्ते में आई भूमि के बदले में डीएलसी की दर से राशि दिये जाने के स्थान पर भूमि के बदले में भूमि दिये जाने पर पक्षकारों के मध्य सहमति हुई है। अतः मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अधार पर मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय के द्वारा स्वीकृत किया गया रास्ता की तक निर्णय यथावत रखा जाता है, परन्तु रास्ते में आई भूमि के बदले में वर्तमान बाजार भाव डीएलसी दर से राशि देने का आदेश निरस्त किया जाता है एवं प्रभुराम रेस्पोडेण्ट रास्ते की भूमि के बदले में प. नं. 219/392 मु. नं. 29 के किला नं. 17, 24 में पूर्वी साईड में जितनी भूमि रास्ते में आयेगी उतनी भूमि प्रथम पक्षकार अर्थात अपीलाण्ट पोखरराम, फूलचन्द, महेन्द्र पि0 पोखरराम जाति माली के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 24/3/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़